फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

फतेह सिंह रावत बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुकदमा नम्बरः– 108 सन् 2017

RCMS No- 2017/00171

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
22.09.17	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री फतेह सिंह रावत, ग्राम खानपुर मीना तहसील बाडी जिला धौलपुर ने कोषाधिकारी धौलपुर के विरूद्ध निदेशक, कोष एंव लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर को पेश की। निदेशक कोष एंव लेखा राजस्थान जयपुर ने वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ11(2) वित्त/राजस्व/07 दिनांक 09.04.2007 के अनुसार अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावें। अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी से अवगत कराया जावें। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 09.10.2017 को पेश हो। जिला कलक्टर धौलपुर	639-90 26/9/17
9/10/17	अपीलान्ट अनु०। कोषाधिकारी धौलपुर से टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। जिसे तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24/10/2017 को पेश हो। जिला कलक्टर धौलपुर	
24/10/2017	अपीलान्ट अनु०। कोषाधिकारी धौलपुर से टिप्पणी प्राप्त हुई। कोषाधिकारी धौलपुर ने टिप्पणी क्रमांक/पत्र(धौ) 2017-18/1154 दिनांक 23/10/17 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रदत्त है एवं अतिरिक्त: उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नस्ती से [illegible] हो। जिला कलक्टर धौलपुर	